

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: SEPTEMBER 06, 2018

No. 3046 /Admin. (Services)/2018

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **13/2018/820/II-4-2018-32(2)/2015 T.C.-III** dated **24.08.2018**, Sushri **Chetna Tyagi**, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffarnagar.

No. 3047 /Admin. (Services)/2018

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **14/2018/767/II-4-2018-44Sa0/2017** dated **24.08.2018**, Smt. **Sonali Ratna**, candidate of Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly in the vacant court.

BY ORDER OF THE COURT

sd/-

(MOHD. FAIZ ALAM KHAN)
REGISTRAR GENERAL

No. 552/Admin. (Services)/2018: Allahabad: Dated: September 06, 2018

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. All the District & Sessions Judges subordinate to High Court of Judicature at Allahabad alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification Nos. **13/2018/820/II-4-2018-32(2)/2015T.C.-III** dated **24.08.2018** and **14/2018/767/II-4-2018-44Sa0/2017** dated **24.08.2018** (Information available on E-mail).

The concerned District & Sessions Judges subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad are directed that to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The concerned District & Sessions Judges subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad are directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

8. All newly selected candidate Civil Judge, Junior Division

1.	Sushri Chetna Tyagi D/o Sri Anirudh Kumar Tyagi, R/o 45, Village and Post – Kanauja, Muradnagar, District- Ghaziabad, U.P. - 201206
2.	Smt. Sonali Ratna D/o Sri Jaswant Singh, R/o C-246, Sector – 19, Divya Jyoti Apartments, Rohini, Delhi - 110089

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately. Court's Notifications have been sent to you by speed/registered post and it is also available on official website of Hon'ble Court i.e. www.allahabadhighcourt.in.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that your appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until you are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general condition of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 13/2018/820/II-4-2018-32(2)/2015T.C.-III dated 24.08.2018 and 14/2018/767/II-4-2018-44Sa0/2017 dated 24.08.2018 respectively.

9. The Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
10. The Joint Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
11. The Officer on Special Duty (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad.
12. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin. A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, with the request to place this notification before the Hon'ble Judges sitting at Allahabad & Lucknow for their Lordship's kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

sd/-
(ATUL SRIVASTAVA)
JOINT REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-13/2018/820/दो-4-2018-32(2)/2015 टी0सी0-III

लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2018

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2015 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री चेतना त्यागी, (अनुक्रमांक-023156) पुत्री-श्री अनिरुद्ध कुमार त्यागी, निवासी-मकान नम्बर-45, ग्राम व डाक-कनौजा, थाना-मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद-201206 को वेतनमान रुपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं।

2- सुश्री चेतना त्यागी की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-13/2018/820(1)/दो-4-2018, तदद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री चेतना त्यागी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी सुश्री चेतना त्यागी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करती हैं तो उस स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त सुश्री चेतना त्यागी की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-90/02/ई-2/2015-16, दिनांक 17-02-2018 के सन्दर्भ में।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को उ0प्र0 गजट के आगामी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

(6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।

(7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।

(8) सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री चेतना त्यागी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। सुश्री चेतना त्यागी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री चेतना त्यागी जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाती हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगी।

सुश्री चेतना त्यागी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अनुभागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-14/2018/767/दो-4-2018-44सा0/2017
लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2018

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2016 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी श्रीमती सोनाली रत्ना, (अनुक्रमांक-006286) पुत्री श्री जसवन्त सिंह, निवासी-सी-246, सेक्टर-19, दिव्य ज्योति अपार्टमेन्ट, रोहिणी, नई दिल्ली-110089 को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर श्री राज्यपाल अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त नियुक्ति श्रीमती सोनाली रत्ना के विरुद्ध जनपद-मुजफ्फरनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-947/2017 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

2- श्रीमती सोनाली रत्ना, की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-14/2018/767(1)/दो-4-2018.तदद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी श्रीमती सोनाली रत्ना, द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी श्रीमती सोनाली रत्ना, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करती हैं तो उस स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त श्रीमती सोनाली रत्ना, की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-49/09/ई-3/2016-17, दिनांक 02-11-2017, पत्र संख्या-68/9/ई-3/2016-2017, दिनांक 13-12-2017 एवं पत्र संख्या-79/09/ई-3/2016-17, दिनांक 25-01-2018 एवं पत्र संख्या-76/09/ई-3/2016-17,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 12-01-2018 के सन्दर्भ में।

- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- (7) जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-947/2017 के निर्णय से यथासमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (8) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित अभ्यर्थी श्रीमती सोनाली रत्ना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। श्रीमती सोनाली रत्ना, को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी श्रीमती सोनाली रत्ना, जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाती हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगी।
- श्रीमती सोनाली रत्ना को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (10) अनुभागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव